अयोध्या प्रसाद प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण समिति

AYODHYA PRASAD MANAGEMENT INSTITUTE & TECHNOLOGY SHIKSHAN SAMITI

ज्ञानम् सत्य शक्तिः

APMIT CAMPUS
Mansoorabad, Bhagautipur
Post : Anapur , Prayagarj
Uttar Pradesh. PIN : 229411
Phone : 5335-281286,281221
Fax : 91-5335-2281307
Website : http://www.apmit.in
Email : apmit@apmit.in
Helpline No. : +91-9506589000

भूमि उपयोग प्रमाण–पत्र

अयोध्या प्रसाद मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रस्तावित **बद्रीधर द्विवेदी कालेज ऑफ फार्मेसी** मोहरब, आनापुर, प्रयागराज को प्रदत्त भूमि गाटा संख्या 663 में से 1000 वर्गमी, 664 में से 2700 वर्गमी तथा गाटा संख्या 665 में से 4800 वर्गमी इस प्रकार कुल मिलाकर **8500 वर्गमी** की जमीन का उपयोग केवल फार्मेसी कालेज हेतु ही किया जाएगा। निर्मित भवन का उपयोग **बद्रीधर द्विवेदी कालेज ऑफ** हेतु किया जाएगा एवं अवशेष भूमि का अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा।

निदेशक
अयोध्या प्रसाद द्विवेदी प्रबंधन एवं
प्रौद्योगिकी शिक्षण समिति
ए–159 मेंहदौरी कालोनी प्रयागराज

Director
Ayodhya Prasad Management Institute
& Technology Shikshan Samiti
A-159, Mehdauri Colony Teliyarganj
Prayagraj

Principal
Badri Dhar Dwivedi College of Pharmacy
Mohrub Anapur, Prayagraj

प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29-7-2009

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सोरांव, इलाहाबाद।
वाद संख्या-- /29 वर्ष 2009 धारा 143 जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधि0
मौजा--मोहरब परगना नवाबगंज तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद।
डा0 विनय कुमार द्विवेदी बनाम सरकार

आदेश

प्रस्तुत वाद में पूर्व पारित आदेश दिनांक 15--6--09 के विरूद्ध पुर्नस्थापन प्रार्थनापत्र डा0 विनय कुमार द्विवेदी पुत्र बद्रीधर द्विवेदी निवासी मोहरब परगना नवाबगंज तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद वर्तमान निवास ए 159 मेहदौरी कालोनी तेलियरगंज द्वारा निदेशक अयोध्या प्रसाद मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड टेक्नालाजी शिक्षण समिति ग्राम पूरे बुद्धीधर चौरंग पो0 व परगना ढिंगवस तहसील कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया है कि आदेश दिनांक 15--6--2009 एक पक्षीय पारित किया गया है जिसे निरस्त कर पुनः सुनवाई के उपरान्त गुणदोष के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाय।

वादी द्वारा अपने पुर्नस्थापन प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि लिपिकीय त्रुटि से गाटा संख्या--626 का रकबा 0.0880 के बजाय 0.080 हे0 व गाटा संख्या 660 रकबा 0.5130 के बजाय 0.5100 तथा कुल 8 गाटा व कुल रकबा 4.5833 के बजाय 4.580 लिख उठा है, जिसे दुरूस्त किया जाय। अस्तु न्यायहित में प्रस्तुत वाद पुर्नस्थापित किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः मौजा मोहरब परगना नवाबगंज तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद स्थित गाटा संख्या--626 रकबा 0.0880 हे0 व गाटा संख्या--665 रकबा 0.904 हे0 व गाटा संख्या 661 रकबा 0.2493 हे0 व गाटा संख्या 660 रकबा 0.5130 हे0 व गाटा सं0 659 रकबा 0.034 हे0 व 663 रकबा 0.496 हे0 व गाटा संख्या 656ख रकबा 1.020 हे0 व गाटा संख्या 664 रकबा 1.279 हे0 को अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति उप निबन्धक सोरांव को भेजी जाय।

(त्रिलोकी सिंह)
उप जिलाधिकारी,सोरांव,
इलाहाबाद।

Principal
Badri Dhar Dwivedi College of Pharmacy
Mohrub Anapur, Prayagraj

प्रार्थना पत्र देने की तिथि 28/7/2009
प्रतिलिपि तैयार करने की तिथि 31/7/2009
प्रतिलिपि जारी करने की तिथि 31/7/2009
क्रमांक 273
31/7/2009